

लोक शिक्षण संचालनालय,
मध्यप्रदेश


कमांक /स्था.-2/सी/स्थानां./20/2011/1112

भोपाल, दिनांक 20-4-2011

// आदेश //

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था में विषयमान से व्याख्याता के रिक्त पद पर प्रशासनिक आधार पर पद पूर्ति के लिये तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

स. क.	व्याख्याता का नाम	यूनिक आई. डी. कमांक	वर्तमान पदस्थापना	संस्था का डाइस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था का डाइस कोड
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री जमना प्रसाद शर्मा (हिन्दी)	AU3135	शास.उमावि. टोकखुर्द देवास	23230277701	शास. उमावि. शाहपुर बुरहानपुर	23480277704


आयुक्त, 2017


लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 20-4-2011

पृष्ठांकन/कमांक /स्था.-2/सी/स्थानां./20/2011/1112
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र. भोपाल ।
4. कलेक्टर जिला देवास, बुरहानपुर, ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला देवास, बुरहानपुर, ।
6. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय उज्जैन, इंदौर ।
7. जिला कोषालय अधिकारी जिला देवास, बुरहानपुर,
8. स्टाफ आफीसर आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश ।

निरंतर पृष्ठ :- 2

9. जिला शिक्षा अधिकारी जिला देवास, म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेखों से यह पृष्टि कर ले कि स्थानांतरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानांतरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये । यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे । संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिये पूर्ण उत्तरदायी होंगे । आदेश के क्रियान्वन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे ।
10. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. संबंधितों की ओर सूचनार्थ



आयुक्त,
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय,
मध्यप्रदेश

क्रमांक /स्था.-2/सी/स्थानां./20/2011/1114


भोपाल, दिनांक 20-7-2011

//आदेश//

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कालम क्रमांक 06 में अंकित संस्था में किया जाता है ।

2./ यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि की पात्रता नहीं होगी ।

स. क.	व्याख्याता का नाम	यूनिक आई. डी. क्रमांक	वर्तमान पदस्थापना	संस्था का डाइस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था का डाइस कोड
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री डी.एल. बिसेन (भूगोल)	AD2239	शास. कन्या उमावि. लांजो बालाघाट	23450877702	शास.कन्या उमावि. किरनापुर बालाघाट	23450277702
02	श्री सतीश चन्द्र गुप्ता (गणित)	AK2240	शास. हाईस्कूल पटौदी गुना	23070466617	शास. कन्या उमावि. बीनागंज गुना	23070477704
03	श्री रामनारायण सिंह (गणित)	BO9532	शास.उमावि. मुकुन्दपुर सतना	23130177703	शास. कन्या उमावि नागौद सतना	23130177710
04	श्री लालसिंह राजपूत (अंग्रेजी)	AR3584	शास. उमावि. क्रमांक 2 मुरार ग्वालियर	23040577708	शास.कन्या पदमा उमावि. लशकर ग्वालियर	23040577714

 20-7-11

आयुक्त,
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

निरंतर पृष्ठ:- 2

01. निज सचिव मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल ।
02. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
03. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र. भोपाल ।
04. कलेक्टर जिला बालाघाट, गुना, सतना और ग्वालियर।
05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला बालाघाट, गुना, सतना और ग्वालियर।
06. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय जबलपुर, ग्वालियर और रीवा ।
07. जिला कोषालय आधिकारी जिला बालाघाट, गुना, सतना और ग्वालियर।
08. स्टाफ आफीसर आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश ।
09. जिला शिक्षा अधिकारी जिला बालाघाट, गुना, सतना और ग्वालियर म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेखों से यह पुष्टि कर ले, कि स्थानांतरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानांतरित संस्था में विद्यमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये । यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे । संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिये पूर्ण उत्तरदायी होंगे । आदेश के क्रियान्वन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे ।
10. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. संबंधितों की ओर सूचनार्थ



आयुक्त,
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश


लोक शिक्षण संचालनालय,
मध्यप्रदेश

क्रमांक / स्था.-2/सी/स्थानां./20/2011/1116

भोपाल, दिनांक 20-7-2011

// आदेश //

संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक स्था.-2/सी/स्थानां./सूची/18/ 11/ 772-773 दिनांक 07.06.2011 के तहत श्री शिवादित्य शर्मा व्याख्याता (अंग्रेजी) शास. उमावि. क. 2 मुरार, ग्वालियर का प्रशासकीय स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में शास. उमावि. डबरा जिला ग्वालियर किया गया था । जिसे एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर श्री शर्मा व्याख्याता (अंग्रेजी) को यथावत् पदस्थ किया जाता है ।

 20.7.11


आयुक्त,

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20-7-2011

पृष्ठांकन/क्रमांक / स्था.-2/सी/स्थानां./20/2011/1117
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल म.प्र. ।
4. कलेक्टर जिला ग्वालियर ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला ग्वालियर ।
6. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय, ग्वालियर ।
7. जिला कोषालय अधिकारी जिला ग्वालियर ।
8. स्टाफ आफीसर आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश ।
9. जिला शिक्षा अधिकारी जिला ग्वालियर म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेखों से यह पुष्टि कर ले, कि स्थानांतरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानांतरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये । यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे । संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिये पूर्ण उत्तरदायी होंगे । आदेश के क्रियान्वन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे ।
10. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. संबंधितों की ओर सूचनार्थ



आयुक्त,

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश


लोक शिक्षण संचालनालय,
मध्यप्रदेश

क्रमांक /स्था.-2/सी/स्थानां./20/2011/1118

भोपाल, दिनांक 20-7-2011

// आदेश //

संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक स्था.-2/सी/13/2011/54-55 दिनांक 07.06.2011 के तहत श्री प्रदीप लाक्षाकार, व्याख्याता (जीवविज्ञान) की प्रतिनियुक्ति से वापसी उपरांत पदस्थापना शास. उमावि. रन्नौद शिवपुरी की गयी थी & जिसे एतद् द्वारा संशोधन करते हुये श्री लाक्षाकार की पदस्थापना व्याख्याता (जीवविज्ञान) के रिक्त पद पर शा.क.उ.मा.वि. शिवपुरी में की जाती है ।


20.7.11
आयुक्त,

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन/क्रमांक /स्था.-2/सी/स्थानां./20/2011/1119
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 20-7-2011

1. निज सचिव मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल म.प्र. ।
4. कलेक्टर जिला शिवपुरी ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला शिवपुरी ।
6. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय, ग्वालियर ।
7. जिला कोषालय अधिकारी जिला शिवपुरी ।
8. स्टाफ आफीसर आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश ।
9. जिला शिक्षा अधिकारी जिला शिवपुरी म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेखों से यह पुष्टि कर ले, कि स्थानांतरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानांतरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये । यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे । संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिये पूर्ण उत्तरदायी होंगे । आदेश के क्रियान्वन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे ।
10. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ



आयुक्त,

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश



लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20-4-2011

क्रमांक/स्था-2/सी/20/2011/1120
प्रति,

आयुक्त,
राज्य शिक्षा शिक्षा केन्द्र,
पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स,
भोपाल (म.प्र.)


विषय:- अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बावत् ।

—0—

कृपया पत्र, के साथ संलग्न मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा से प्राप्त टीपें एवं संलग्न सहपत्रों की छाया प्रतियों का अवलोकन करे । प्रकरण आपके कार्यालय के अधीन संचालित संस्थाये डाइट एवं शिक्षा महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के पदांकन से संबंधित है । जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

स. क्र.	व्याख्याता का नाम व पद	वर्तमान पदस्थापना	चाही जा रही पदस्थापनाये
01	डा. संदीप नाडकर्णी, वरिष्ठ व्याख्याता	शास. उमावि. महाराजवाडा क्रमांक 1 उज्जैन	शास. शिक्षा महाविद्यालय उज्जैन
02	श्रीमती अशिम शर्मा, कनिष्ठ व्याख्याता	डाइट दनिया	डाइट ग्वालियर अथवा शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर
03	श्री ए. के. सिंह व्याख्याता	शास. उत्कृष्ट उमावि. हटा दमोह	डाइट दमोह

उपरोक्तानुसार सरल क्रमांक 01 एवं 03 पर अंकित व्याख्याताओं का पदांकन क्रमशः शास. शिक्षा महाविद्यालय उज्जैन एवं डाइट दमोह में किया जाता है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ती नहीं होगी । सरल क्रमांक 02 पर अंकित व्याख्याता पूर्व से ही आपके अधीन संचालित संस्था में पदस्थ है और वहीं से आपके अधीन संचालित संस्था में स्थानांतरण चाहते है । अतः इस संबंध भी कार्यालय को कोई आपत्ती नहीं है । अतः प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही कर मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा एवं इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करे ।


आयुक्त लोक शिक्षण,
मध्यप्रदेश,

निरन्तर पृष्ठ :-2

//2//

पृष्ठांकन / क्रमांक / स्था-2 / सी / 20 / 2011 / 1121
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 20-7-2011

1. निज सचिव मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग को उनकी टीपें क्रमांक 1172,1173 एवं 1175 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग बल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल ।
3. प्राचार्य शास. शिक्षा महाविद्यालय उज्जैन / ग्वालियर ।
4. प्राचार्य जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान दतिया / ग्वालियर / इमोह ।
5. संबंधितों की ओर सूचनार्थ ।



आयुक्त लोक शिक्षण,
मध्यप्रदेश


लोक शिक्षण संचालनालय,
मध्यप्रदेश

क्रमांक /स्था.-2/सी/स्थानां./20/2011/1122

भोपाल, दिनांक 20.07.2011

//आदेश//

संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक स्था.-2/सी/स्था./11/11/60-61 दिनांक 07.06.2011 के तहत श्री मुकेश जैन व्याख्याता (गणित) शास. उमावि. क. 2 नीमच का प्रशासकीय स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में शास. उमावि. जावद नीमच किया गया था। किन्तु स्थानांतरित संस्था में पद रिक्त न होने के कारण श्री जैन को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा सका। ऐसी स्थिति में उक्त स्थानांतरण को निरस्त करते हुये श्री जैन का प्रशासनिक स्थानांतरण शास. उमावि. क्रमांक 2 से समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में शास. उमावि. नारायणगढ़, मंदसौर में व्याख्याता (गणित) के रिक्त पद पर किया जाता है।


आयुक्त, 20/7

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 20.07.2011

पृष्ठांकन/क्रमांक /स्था.-2/सी/स्थानां./20/2011/1123
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल म.प्र.।
4. कलेक्टर जिला नीमच, मंदसौर।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला नीमच, मंदसौर।
6. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय, उज्जैन।
7. जिला कोषालय अधिकारी जिला नीमच, मंदसौर।
8. स्टाफ आर्कासर आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
9. जिला शिक्षा अधिकारी जिला नीमच म.प्र. की ओर-अप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेखों से यह पुष्टि कर ले, कि स्थानांतरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानांतरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिये पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।
10. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ



आयुक्त,
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

